संख्या- 24/2019/309/22-4-19-119(ब)/2000टीसी-8(ए)

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0,लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक- 29 मार्च, 2019**

विषय- प्रदेश की कारागारों में स्थापित वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4318/आधु-1/वीडियो कान्फ्रेंसिंग/2014, दिनांक 18 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में स्थापित वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था कराये जाने के लिए आई-5, 7जी जनरेशन स्टैण्डर्ड का डेस्कटाप कम्प्यूटर, 1000 वीए के यूपीएस, एचपी का ऑल इन वन प्रिन्टर एवं 16 जीबी की 16 अद्द पेनड्राइव क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रू0 3.33 लाख (रूपया तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-202(1)/22-4-2019-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 26 मार्च, 2019 (प्रति संलग्न) द्वारा की गयी है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय 04 कारागारों के लिए आई-5, 7जी जनरेशन स्टैण्डर्ड का डेस्कटाप कम्प्यूटर, 1000 वीए के यूपीएस, एचपी का ऑल इन वन प्रिन्टर एवं 16 जीबी की 16 अद्द पेनड्राइव क्रय किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 3,33,000/-(रूपया तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्तावित आई-5, 7जी जनरेशन स्टैण्डर्ड का डेस्कटाप 1000 वीए के यूपीएस, एचपी का ऑल इन वन प्रिन्टर	अनुमानित
1	जिला कारागार गाजियाबाद	01 यूनिट	81,600
2	केन्द्रीय कारागार नैनी	01 यूनिट	81,600
3	जिला कारागार लखनऊ	01 यूनिट	81,600
4	जिला कारागार मुरादाबाद	01 यूनिट	81,600
5		16 जीबी की 16 अद्द पेनड्राइव	6,600
		योग-	3,33,000/-

(1) कम्प्यूटर एवं उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस(जैम) के माध्यम से किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक खाता तथा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग/व्यय उसी मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-पूंजीलेखा-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-प्रदेश के कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-**24**/2019/**309**(1)/22-4-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।

(7) निजी सचिव, मा0 राज्यंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0, शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in